



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-87

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 270304 दिनांक 05/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anju Maheshwari W/o DILIP MAHESHWARI	श्री रोशन लाल शारदा पुत्र श्री कन्हैया लाल शारदा	69	198.33 SQ. YARD	Private	BHASKAR ENCLAVE-I Sector/Block-	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती अंजू महेश्वरी पत्नी श्री दिलीप महेश्वरी (पुत्री स्व0 श्री रोशन लाल शारदा) द्वारा निजी खातेदारी की योजना भास्कर एनक्लेव-प्रथम के आवासीय भूखण्ड संख्या 69 क्षेत्रफल 198.33 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 10 दिनांक 22.09.2008 के द्वारा श्री रोशन लाल शारदा पुत्र श्री कन्हैया लाल शारदा के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्री रोशन लाल शारदा की मृत्यु दिनांक 10.12.2013 को हो चुकी है। इनकी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस क्रमशः श्रीमती कमला शारदा (पत्नी), श्री दीपक शारदा (पुत्र), श्रीमती मंजू साबू एवं श्रीमती अंजू महेश्वरी पुत्रीयां स्व० श्री रोशन लाल शारदा हैं। तत्पश्चात श्रीमती कमला शारदा, श्री दीपक शारदा एवं श्रीमती मंजू साबू द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 04.01.2022 के माध्यम से श्रीमती अंजू महेश्वरी पत्नी श्री दिलीप महेश्वरी (पुत्री स्व० श्री रोशन लाल शारदा) के पक्ष में हकत्याग निष्पादित किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Anju Maheshwari W/o DILIP MAHESHWARI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।